संख्या-53/2015/ 2140 सी0डी0/46-3-15-20(32)/2005

प्रेषक,

सुबोध कुमार श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रभारी निदेशक,
उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद,
शाहजहांपुर।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 21 दिसम्बर, 2015

विषयः- वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग-4) में राजकीय विभागों के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार शोध परिषद के लेखा संवर्ग का पुनर्गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग-4) में राजकीय विभागों के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1853/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 एवं शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-109/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 27 फरवरी, 2013 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद में लेखा संवर्ग के अन्तर्गत सृजित/उपलब्ध पदों के सम्बन्ध में नीचे दी गयी तालिका के अनुसार वर्तमान ढाँचा के स्थान पर पुनर्गठित ढाँचा को, **इस शासनादेश के निर्गत होने के दिनांक से,** एतद्द्वारा संशोधित/प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

वर्तमान ढांचा				**पुनर्गठित ढांचा**				
क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0)	पदनाम	पदों की संख्या	पुनरीक्षित वेतन संरचना में		भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता/ प्रक्रिया
						वेतन बैण्ड (रू0)	ग्रेड वेतन (रू0)	
1[1]	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सहायक लेखाकार	17	वेतन बैण्ड-1 5200-20200 ग्रेड वेतन 2800/-	सहायक लेखाकार	05	वेतन बैण्ड-1 5200-20200	2800	लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत-प्रतिशत सीधी भर्ती-स्नातक (कामर्स) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी सहित कम्प्यूटर में "ओ" लेवल का डिप्लोमा की अर्हताधारियों से।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2	कनिष्ठ खजांची	01	वेतन बैण्ड-1 5200-20200 ग्रेड वेतन 2000/-	लेखाकार	13	वेतन बैण्ड-2 9300-34800	4200	03 वर्ष की सेवा वाले सहायक लेखाकार के पदधारकों में से शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।
	योग-	**18**		**योग**	**18**			
3	सहायक लेखाधिकारी	01	वेतन बैण्ड-2 9300-34800 ग्रेड वेतन 4600/-	सहायक **लेखाधिकारी**	01	वेतन बैण्ड-2 9300-34800	4800	परिषद में लेखाकार में से उनकी पदों की संख्या के अनुपात में निर्धारित कोटे के आधार पर शत्-प्रतिशत् पदोन्नति द्वारा।

2- लेखा संवर्ग को तद्रनुसार पुनर्गठित/संशोधित किये जाने के उपरान्त प्रतिवर्ष आने वाले अतिरिक्त व्ययभार का वहन उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद द्वारा स्वयं किया जायेगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी।

3- उपर्युक्त संवर्गीय पुनर्गठन के फलस्वरूप लेखा संवर्ग के कुल पदों की संख्या-19 ही रहेगी तथा उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य किये जाने पर सम्बन्धित पदधारकों का वेतन शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

4- उपर्युक्त व्यवस्था का समावेश करते हुए सम्बन्धित सेवा नियमावली में यथाशीघ्र संशोधन कर लिया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-ई-6-630 /दस-2014, दिनांक 14 दिसम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-53/2015/ 2140(1)सी0डी0/46-3-15-20(32)/2005, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- वित्त नियन्त्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
4- निदेशक, अधिष्ठान, पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2 ।
6- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-6 ।
7- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग 1/2 ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in